



महालेखाकार (ले.प.1) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I), KERALA,
THIRUVANANTHAPURAM



सं. ले प / प्रशासन / III/6-5/खंड. VIII

दिनांक: 30.12.2024

अनुभागीय आदेश सं.299/SECTIONAL ORDER No. 299

श्री सिजिदास डी आर, लिपिक को 01.01.2025 से या कार्यभार संभालने की तारीख से, जो भी बाद में हो, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 में लेखापरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया जाता है।

पदाधिकारी को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेश नियम पुस्तक (प्रशासन) खंड I तृतीय संस्करण के पैरा 9.4.2 के प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति के तुरंत बाद से लगातार छह अवसरों के भीतर लेखापरीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल होने पर लिपिक संवर्ग में पदावनत कर दिया जाएगा। उन्हें प्रत्यावर्तित लिपिक के रूप में परीक्षा पास करने के लिए 3 और अतिरिक्त अवसर की अनुमति दी जाएगी, जिसका लाभ प्रत्यावर्तन की तारीख से दो साल के भीतर लेना होगा। प्रत्यावर्तित लिपिक के रूप में, जो अनुमेय अतिरिक्त अवसरों में भी लेखापरीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में असमर्थ है, वह प्रत्यावर्तन की तारीख से 5 वर्ष के बाद ही लेखापरीक्षक के संवर्ग में पदोन्नति के लिए विचार हेतु पात्र हो जाएगा।

यदि वे एफआर 22(आई)(ए)(1) के अनुसार वेतन निर्धारण के लिए विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें पदोन्नति की तारीख से एक महीने के भीतर लिखित रूप में विकल्प देना होगा।

उपरोक्त पदोन्नति अगले आदेशों के अधीन होगी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी (सी) संख्या 31288/2017 में पारित की जा सकती है।

Shri.Sijidas DR, Clerk is promoted to officiate as **Auditor** in **Level 5** of Pay Matrix with effect from **01.01.2025** or from the date of assumption of charge, whichever is later.

The official will have to pass the Departmental Examination for Auditors within six consecutive chances, falling due immediately after the promotion in accordance with the provisions of para 9.4.2 of Comptroller and Auditor General's Manual of Standing Orders (Admn.) Vol.I Third Edn. and failure to pass the Examination will entail reversion to Clerks' cadre. He will be permitted to appear for 3 more additional chances to clear the examination as reverted Clerk, which will have to be availed of within two years from the date of reversion. In the case of reverted Clerk who is unable to pass the Departmental Examination for Auditors even in the additional chances permissible to him, he will become eligible for consideration for promotion to the cadre of Auditor only after 5 years from the date of reversion.

If he intends to exercise option for fixation of pay in terms of FR 22(I)(a)(1), he should give the option in writing within one month from the date of promotion.

The above promotion shall be subject to further orders which may be passed by the Hon'ble Supreme Court in SLP(C) No.31288/2017.

(उ म ले / प्रशासन के दिनांक 30.12.2024 के आदेशानुसार)

(Vide orders dated 30.12.2024 of DAG/Admn.)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)
SENIOR AUDIT OFFICER (ADMN.)

प्रतिलिपि / Copy to:

1. अनु. आ. पुस्तिका / S.O. Book
2. श्री सीजीदास डी आर / Shri.Sijidas DR
3. सभी समूह अधिकारीगण / All Group Officers
4. म ले (ले प-I)/ म ले (ले प-II) के सचिव / Secretary to AG(Au-I)/AG(Au-II)
5. व ले प अ / प्रशासन, म ले (ले प-II) का कार्यालय / Sr.AO/Admn, O/o the AG (Au-II)
6. व ले प अ / का स्था (बिल्स/रोकड़/हकदारी) ले प-I/ले प-II / Sr.AO/ OE (Bills/Cash/Entt.)
Au- I/Au-II
7. व ले प अ / का स्था, शाखा तृशूर, कोच्ची/ तृशूर / Sr.AO/ OE, Br.Office, Kochi/Thrissur
8. सभी शाखा अधिकारीगण / All Branch Offices
9. आई ए अनुभाग / प्रशिक्षण कक्ष / गो कक्ष / सामान्य अनुभाग / हिन्दी कक्ष- ले प- I / IA Section /
Trg.Cell/ C.Cell / Gl.Sn./Hindi Cell- Au- I
10. आई टी एस कक्ष – वेबसाईट में अपलोडिंग हेतु / ITS Cell- for uploading in the website
11. पी ए ओ I, II और III / PAO I, II and III
12. सेवा संगठन / Service Associations
13. सूचना पट / Notice Board
14. व्यक्तिगत फाइल / Personal File